संख्या-16/2015/456एम0एम0/26-2-2015-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 06 जुलाई, 2015

विषयः- वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014, पत्र सं0-1177/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 20.05.2014, पत्र सं0-1614/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 04.07.2014 एवं पत्र सं0-1159/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 12.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शासनादेशों द्वारा योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का वरीयता क्रम निर्धारण किया गया था। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2014, दिनांक 20 मई, 2014, दिनांक 04 जुलाई, 2014 एवं 12 मई, 2015 के प्रस्तर-5.1.2 तथा 5.2.2 में योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का वरीयता क्रम निर्धारण संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगाः-

प्रस्तर-5.1.2 -ग्रामीण क्षेत्र

(1) जो भूमिहीन हो।
(2) जो "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013" के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।
(3) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।
(4) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हो।

(6) किसानों द्वारा कृषि संकट, फसल बर्बाद होना, कर्ज की वसूली के चलते सामाजिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या अथवा सदमें से होने वाली असामयिक मृत्यु की घटना घटित होने पर पीड़ित किसान के परिवार को, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते है।

(7) एच0आई0वी0 संक्रमित, व्यक्तियों/परिवारों एवं अनाथ संक्रमित बच्चों के संरक्षकों को, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता पूरी करते है।

(8) ऐसे एसिड अटैक पीड़ितों को जो शरीरिक रूप से अक्षम हो गये हो, चेहरा विकृत हो गया हो, अन्धे हो गये हो, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।

(9) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

<u>प्रस्तर-5.2.2- शहरी क्षेत्र</u>

(1) जो "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013" के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।

(2) जो दैनिक मजदूरी/खोमचा या फेरी वाला हो।

(3) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।

(4) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(5) ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हो।

(6) जिनके पास स्वयं का आवास न हो।

(7) किसानों द्वारा कृषि संकट, फसल बर्बाद होना, कर्ज की वसूली के चलते सामाजिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या अथवा सदमें से होने वाली असामयिक मृत्यु की घटना घटित होने पर पीड़ित किसान के परिवार को, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते है।

(8) एच0आई0वी0 संक्रमित, व्यक्तियों/परिवारों एवं अनाथ संक्रमित बच्चों के संरक्षकों को, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) ऐसे एसिड अटैक पीड़ितों को जो शरीरिक रूप से अक्षम हो गये हो, चेहरा विकृत हो गया हो, अन्धे हो गये हो, यदि वे समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं।

(10) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-16/2015/456एम0एम0(1)/26-2-2014-100(1)/2013 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, समाज कल्याण, उ0प्र0।

2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

8- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

9- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।

10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

11- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।